# मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या १०२/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. १५१/२०१६)
धर्मपाल आदि  बनाम आशुतोष शर्मा आदि

**<u>०८.१२.२०२०</u>**

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थिया/याचिया श्रीमती ललिता देवी  द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनाँक ०२.०३.२०१९ को हो चुका है, जिसमें याचिया को ₹ १,५०,००० दिये जाने का आदेश हुआ है तथा जिसमें से आधी धनराशि उसे नकद प्राप्त होनी थी तथा आधी धनराशि ३ साल के लिए एफ.डी.आर. में जमा होनी थी। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिका को आधी धनराशि प्राप्त हो गयी है तथा आधी धनराशि एफ.डी.आर में जमा है जिसकी परिपक्वता तिथि १८.०७.२०२२ है। प्रार्थिया काफी वृद्ध है तथा वह काफी समय से बीमार चल रही है इस कारण प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि याचिया की उक्त एफ.डी.आर. तोड़कर उसकी धनराशि प्रार्थिया को दिलाए जाने की कृपा की जाय। प्रार्थिया ने समर्थन में ४सी२ स्वयं का शपथपत्र, न्यायाधिकरण के आदेश दिनाँकित ०९.०३.२०१३ की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति ८सी१, उक्त एफ.डी.आर. की छाया प्रति ५सी१, अपनी पासबुक व आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थिया न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थिया  के विद्वान अधिवक्ता को ३बी पर सुना गया तथा प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँकित ०९.०३.२०१३ की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति ८सी१, व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया ने स्वयं अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन मे उसने ₹ १,५०,००० में से आधी धनराशि प्राप्त कर ली है।  न्यायाधिकरण के उक्त आदेश व दाखिल एफ.डी.आर. की छाया प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिया /याचिया के नाम अब न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में ₹ **७५,०००** की एफ.डी.आर. प्रार्थिया के नाम सिंडीकेट बैंक द्वारा जारी की गयी है, जिसकी परिपक्वता अवधि १८.०७.२०२२ है। प्रार्थिया ने उक्त एफ.डी.आर. को समाप्त कर उसकी धनराशि अपनी वृद्धावस्था तथा बीमारी के कारण दिलाए जाने की याचना की है। प्रार्थिया ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है। न्याय हित में प्रार्थिया की बृद्धावस्था तथा उसकी बीमारी को देखते हुए उक्त एफ.डी.आर. को समाप्त कर उसकी आधी धनराशि मय ब्याज, उसे आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्रदान किया जाना व आधी धनराशि मय ब्याज की धनराशि उक्त एफ.डी.आर.की परिपक्तवा तिथि १८.०७.२०२२ तक के लिए पुनः एफ.डी.आर. में निवेशित किया जाना न्यायोचित होगा।

## <u>आदेश</u>

सिंडीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. १५१/२०१६ (प्रकीर्ण वाद सं. १०२/२०२० धर्मपाल आदि बनाम आशुतोष शर्मा आदि) के प्रकरण में प्रार्थिया श्रीमती ललिता देवी के नाम जारी एफ.डी.आर. खाता सं. ९२३५४०५०००५४९७/१ दिनाँकित १८.०७.२०१९ को समाप्त कर  प्रार्थिया को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर देंः-

| **Applicant/ Petitioner** | **Amount in ₹** | **+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount** | **Mode of Disbursment** | **Bank Account Number** | **Bank** | **IFSC Code** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Smt. Lalita | 37500 | 50 | FD for further 3 years | ___ | Any Nationalized Bank | ____ |
| 1. Smt. Lalita | 37500 | 50 | Elect. Mode RTGS/NEFT | 94180100131064 | U.P.Sarva Gramin Bank, Moth Jhansi | PUNBOSPGB5 |
| Total | **75000** | 100 | | | | |

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.08 15:54:09 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI